प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
विशाल कॉम्पलैक्स,19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0. / आशा / 2011–12 / 11/816-71 दिनांक–13 अप्रैल 2011

विषय :–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं की मासिक बैठक के आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक,राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के स्तर से प्रत्येक वर्ष भेजे गये दिशा निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करें। पत्र के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर आशाओं की मासिक बैठक आयोजन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। आशाओं की मासिक बैठक के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये पुनः आवश्यक निर्देश दिये जा रहे है जो निम्नवत हैं–

आशाओं की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक के उद्देश्य :–

1 आशाओं द्वारा सम्बनधित माह में सम्पादित किये गये कार्यो के आधार पर आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण कर बैंक एडवाईस के माध्यम से धनराशि अवमुक्त करना तथा बैंक में इलेक्ट्रोनिकली स्थानान्तरित की गयी धनराशि की लिस्ट अस्पताल के बोर्ड पर आशाओं के अवलोकन करने हेतु लगाना।
2 आशाओं में क्षमता की वृद्धि करना।
3 आशाओं के लिए सहयोगात्मक व सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना।
4 आशाओं तथा ए.एन.एम. के बीच समन्वय के वातावरण को बढ़ावा देना
5 आशाओं के दिन–प्रतिदिन कार्यो में आने वाली समस्याओं पर चर्चा एवं सुझावात्मक निराकरण।

<u>आशाओं की मासिक बैठक हेतु दिशा–निर्देश</u>

विगत वर्ष 2010–11 में अधिकांश जनपदों में आशा की ब्लॉक स्तरीय बैठकें पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 पर नियमित रूप से आयोजित की गयीं हैं। परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार आशाओं की बैठकें सुनियोजित रूप से नहीं की जा रही है इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये जा रहे है।

बैठक का आयोजनः–

- बैठक का आयोजन ए0एन0एम0 के क्षेत्र के अनुसार मासिक रूप से (क्लस्टर / सैक्टर) बना कर किया जाना अनिवार्य है। कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रत्येक आशा इस बैठक में अपने क्षेत्र की ए0एन0एम0 के साथ सम्मलित हों। आशाओं की संख्या के दृष्टिगत आशाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए ए0एन0एम0 के क्षेत्र (क्लस्टर / सैक्टर) के अनुसार एक से अधिक बैठकों का आयोजन, निश्चित दिवस पर किया जाये। पूर्व से निर्धारित बैठक को बिना किसी विशेष कारण के निश्चित दिवस पर स्थगित न किया जाए । बैठक की सूचना ए0एन0एम0 के माध्यम से आशाओं को दी जाये।
- बैठक का एजेन्डा प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (एच0ई0ओ0) एवं डी0सी0एम0 के समन्वय एवं सहयोग से बैठक से पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।

- आशायें अपने साथ ग्राम "स्वास्थ्य एवं सूचकाँक रजिस्टर" एवं प्रतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु वाउचर्स इन बैठकों में अवश्य ले कर आएँ जिसके आधार पर कार्यों का सत्यापन, प्रतिपूर्ति राशि का संकलन भुगतान हेतु किया जा सके।
- प्राथमिकता के आधार पर इन बैठकों में आशाओं से सम्बन्धित भुगतान वाउचर पर विशेष रूप से आशाओं का अभिमुखीकरण सुनिश्चित किया जाये। उपस्थित आशाओं से इन बैठकों में यह जानकारी की जाये कि उनके पास भुगतान वाउचर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं अथवा नही, अनुउपलब्धता की स्थिति में आशाओं को वाउचर दिलवाना सुनिश्चित किया जाए ।
- आशाओं से सम्बन्धित **ए0एन0एम0 की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए** ताकि आशाओं के कार्यो का सत्यापन, समस्याओं के निराकरण हेतु चर्चा एवं प्रभावी कार्ययोजना का निर्माण हो सके। प्रभावी कार्ययोजना का तात्पर्य यह है कि विलेज हैल्थ सैनीटेशन कमेटी की बैठक की तिथि एवं आयोजन के बारे में चर्चा , वी0एच0एन0डी0 / नियमित टीकाकरण सत्रों इत्यादि के विषय में ए0एन0एम0 के प्रस्तावित भ्रमण तिथि की जानकारी एवं अन्य विषयों पर सूचनाओं के बारे में आपसी विचार विमर्श किया जाये।
- बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वयं उपस्थित हो कर आशाओं का मार्गदर्शन एवं समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।
- क्षेत्रीय समस्याओं का चिन्हीकरण, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में आशा–वार अद्यतन स्थति की जानकारी कर यथा आवश्यक कार्य योजना बना कर उनके निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- इन बैठकों के संचालन के लिए ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (एच0ई0ओ0) मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। इनकी अनुपस्थिति में ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नामित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा इस बैठक का संचालन किया जाये। बैठक की कार्यवाही तथा रजिस्टर का रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की होगी।
- बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर मुख्य रूप से चर्चा एवं कार्यवाही की जाये –
  1. क्षमतावर्धन हेतु चयनित विषय पर चर्चा ।
  2. आशा को कार्यो में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण।
  3. सामग्री वितरण जैसे –ड्रग किट के लिए दवाईयाँ, आई0एफ0ए0, परिवार नियोजन के साधन, आशायें पत्रिका एवं प्रचार प्रसार सामग्री आदि।
  4. आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा।
  5. विलेज हैल्थ इन्डैक्स रजिस्टर के अधुनान्त की समीक्षा ।
  6. सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विश्व दिवसों जैसे–विश्व स्तन पान दिवस, विश्व एडस दिवस इत्यादि पर आशाओं का क्षमता वर्धन करना, तथा उन्हें क्षेत्रीय प्रचार प्रसार के लिये प्रेरित करना।
  - क्षमता वर्धन हेतु विषय पर चर्चा खेलकूद, पोस्टर बनाना इत्यादि रोचकतापूर्ण माध्यमों से करें जिससे आशाओं में विषय पर समझ के साथ–साथ आत्मविश्वास व उत्साह उत्पन्न हो।
  - आशा की मासिक बैठकों में क्षेत्रीय एन0जी0ओ0 एवं आशा मेन्टोरिंग ग्रुप के सदस्यों को आमंत्रित कर उनके द्वारा अलग अलग विषय वस्तुओं पर क्षमता वृद्धि हेतु सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
  - सुनियोजित बैठक आयोजित कर आशाओं के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण को प्रबल बनाने का प्रयास किया जाये।

बैठकों का अनुश्रवणः–

- जिला आशा नोडल अधिकारी / एन0आर0एच0एम0 नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर, पिछले माह मे आयोजित आशा की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठकों से सम्बन्धित फीडबैक पर चर्चा, उसके आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय एवं अगले माह मे आयोजित की जाने वाली आशा बैठक के लिए एजेंडा तय किए जाने हेतू स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (एच0ई0ओ0) / नामित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की बैठक, प्रत्येक माह में एक बार निश्चित तिथि पर आयोजित की जाये। बैठक में जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर प्रयास करें की प्रति माह ब्लॉक की संख्या के अनुसार आशाओं की मासिक बैठक में उपस्थित होने का भ्रमण कार्यक्रम बना कर बैठक में भाग लें तथा सहयोग प्रदान करें। जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में अपनी संकलित भ्रमण रिपोर्ट व सुझावात्मक बिन्दुओं को सम्मिलित कर प्रस्तुत करें।

निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम की सफलता हेतु समस्त प्रभारी अधिकारियों, ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को बैठक के दिशा निर्देश की प्रतियाँ प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा समय–समय पर आशाओं की उक्त बैठकों में आशाओं को मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं समस्याओं के निराकरण हेतु स्वयं भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय

08.04.11

(सन्तोष कुमार)

महाप्रबन्धक,प्रशासन

o/c

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0. / आशा / 2011–12 / 11 / 816-71-6 दिनांक– 13 अप्रैल 2011

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक,परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र उत्तर प्रदेश।

(डा0हरिओम दीक्षित)

महाप्रबन्धक,कम्यूनिटी प्रोसिस

o/c